

**शहरी रोजगार और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय**  
**मांग संख्या 98**  
**शहरी विकास विभाग**

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:

मुख्य शीर्ष	बजट 2002-2003			संशोधित 2002-2003			बजट 2003-2004		
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व पूँजी जोड़	428.90 454.89 883.79	341.90 85.33 427.23	770.80 540.22 1311.02	341.45 1776.55 2118.00	356.90 70.33 427.23	698.35 1846.88 2545.23	380.15 1212.40 1592.55	339.94 87.75 427.69	720.09 1300.15 2020.24
1. सचिवालय-सामान्य सेवाएं शहरी विकास	2052	...	15.30	...	15.32	15.32	...	15.60	15.60
2. नगर एवं ग्राम आयोजना संगठन	2217	...	3.83	...	3.75	3.75	...	3.42	3.42
3. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र	2217	...	1.50	...	1.50	1.50	...	1.90	1.90
जोड़	4217	55.00	...	55.00	...	55.00	50.00	...	50.00
जोड़	55.00	1.50	56.50	55.00	1.50	56.50	50.00	1.90	51.90
4. छोटे और मध्यम शहरों का एकीकृत विकास	3601	103.50	...	103.50	83.60	...	83.60	98.50	...
	3602	0.40	...	0.40	0.40	...	0.40	...	0.40
	7601	1.00	...	1.00	...	...	1.00	...	1.00
	7602	0.10	...	0.10	...	...	0.10	...	0.10
जोड़	105.00	...	105.00	84.00	...	84.00	100.00	...	100.00
5. बड़े शहरों का अवसंरचनात्मक विकास	2052	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10	...	0.10
	2217	0.40	...	0.40	0.40	...	0.40	...	0.40
	3601	124.50	...	124.50	119.50	...	119.50	...	119.50
जोड़	125.00	...	125.00	120.00	...	120.00	120.00	...	120.00
6. अन्य शहरी विकास योजनाएं	2052	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00	...	...
	2217	16.70	4.98	21.68	4.70	4.98	9.68	9.00	5.85
जोड़	19.70	4.98	24.68	7.70	4.98	12.68	9.00	5.85	14.85
7. सम्पदा निदेशालय	2216	...	47.35	47.35	...	47.41	47.41	...	31.95
8. सरकारी रिहायशी इमारतें									
8.01 निर्माण									
शहरी विकास	4216	90.00	...	90.00	90.00	...	90.00	93.00	...
राष्ट्रपति एस्टेट	4216	...	3.33	3.33	...	3.00	3.00	...	5.75
लोक सभा/राज्य सभा	4216	...	7.75	7.75	...	4.14	4.14	...	8.25
स्वास्थ्य	4216	8.79	...	8.79	3.17	...	3.17	8.60	...
श्रम	4216	5.60	...	5.60	1.12	...	1.12	6.00	...
खान	4216	1.30	...	1.30	1.16	...	1.16	1.10	...
गैस-परम्परागत ऊर्जा स्रोत	4216	0.50	...	0.50	...	...	...	...	...
लघु उद्योग	4216	0.15	...	0.15	0.15	...	0.15	...	...
दूर संचार	4216	0.45	...	0.45	0.08	...	0.08	1.60	...
भारतीय सर्वेक्षण	4216	1.00	...	1.00	0.37	...	0.37	1.00	...
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग	4216	1.00	...	1.00	2.50	...	2.50	1.00	...
लेखा परीक्षा	4216	...	13.00	13.00	...	15.50	15.50	...	20.00
विदेश	4216	...	3.23	3.23	...	1.87	1.87	...	0.53
वित्त (राजस्व)	4216	...	55.01	55.01	...	40.81	40.81	...	46.61
गृह	4216	...	2.00	2.00	...	2.50	2.50	...	3.50
कार्मिक तथा प्रशिक्षण	4216	...	1.00	1.00	...	2.50	2.50	...	3.10
लेखन सामग्री और मुद्रण	4216	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
जोड़	108.79	85.33	194.12	98.55	70.33	168.88	112.30	87.75	200.05
8.02 बड़े और लघु निर्माण कार्य	2216	...	12.72	12.72	...	12.48	12.48	...	12.40
8.03 अनुसंधान और मरम्मत	2216	...	248.04	248.04	...	264.25	264.25	...	261.24
8.04 अन्य मदें	2216	...	8.18	8.18	...	7.21	7.21	...	7.58
जोड़-सरकारी रिहायशी इमारतें		108.79	354.27	463.06	98.55	354.27	452.82	112.30	368.97
463.06									
जलापूर्ति तथा सफाई									
9. शहरी जलापूर्ति तथा मल निकासी	2052	0.20	...	0.20	0.20	...	0.20	...	0.20
	2215	174.10	...	174.10	128.05	...	128.05	146.05	...
जोड़	174.30	...	174.30	128.25	...	128.25	146.25	...	146.25
10. ठोस अपशिष्ट पदार्थ प्रबंध व्यवस्था तथा स्वच्छता हेतु विशेष योजना	2215	5.00	...	5.00	0.50	...	0.50	5.00	...

		(करोड़ रुपए)								
मुख्य शीर्ष	बजट 2002-2003			संशोधित 2002-2003			बजट 2003-2004			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
11. दिल्ली मेट्रो रेल निगम में निवेश	4217	172.00	...	172.00	172.00	...	172.00	190.00	...	190.00
	6217	4.00	...	4.00	1350.00	...	1350.00	690.00	...	690.00
	जोड़	176.00	...	176.00	1522.00	...	1522.00	880.00	...	880.00
12. सरकारी उद्यमों में निवेश	4215	20.00	...	20.00	20.00	...	20.00	5.00	...	5.00
	4217	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00
	जोड़	25.00	...	25.00	25.00	...	25.00	10.00	...	10.00
13. उत्तर पूर्वी क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ के लिए बनाई गई परियोजनाओं/योजनाओं के संबंध में एकमुश्त प्रावधान	2552	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	4552	89.00	...	89.00	76.00	...	76.00	159.00	...	159.00
<b>कुल जोड़</b>		<b>883.79</b>	<b>427.23</b>	<b>1311.02</b>	<b>2118.00</b>	<b>427.23</b>	<b>2545.23</b>	<b>1592.55</b>	<b>427.69</b>	<b>2020.24</b>
<b>ख. सरकारी उद्यमों में निवेश</b>	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़
12.01 आवास और शहरी विकास निगम	22215	25.00	...	25.00	20.00	...	20.00	5.00	...	5.00
	22217	...	...	...	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00
	जोड़	25.00	...	25.00	25.00	...	25.00	10.00	...	10.00
12.02 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड	22216	...	822.40	822.40	...	643.00	643.00	...	435.00	435.00
12.03 दिल्ली मेट्रो रेल निगम	22216	176.00	213.14	389.14	1522.00	407.53	1929.53	880.00	462.32	1342.32
	जोड़	201.00	1035.54	1236.54	1547.00	1050.53	2597.53	890.00	897.32	1787.32
<b>ग. आयोजना परिव्यय*</b>										
1. जलापूर्ति और सफाई	22215	199.30	...	199.30	148.75	...	148.75	156.25	...	156.25
2. आवास	22216	90.00	...	90.00	90.00	...	90.00	93.00	...	93.00
3. शहरी विकास	22217	486.70	1035.54	1522.24	1794.70	1050.53	2845.23	1165.00	897.32	2062.32
4. उत्तर पूर्वी क्षेत्र	22552	89.00	...	89.00	76.00	...	76.00	159.00	...	159.00
	जोड़	865.00	1035.54	1900.54	2109.45	1050.53	3159.98	1573.25	897.32	2470.57
	22216	18.79	...	18.79	8.55	...	8.55	19.30	...	19.30

\* इस मांग में शामिल अन्य मंत्रालयों/विभागों के लिए निर्माण कार्यों पर परिव्यय को छोड़कर।

1. यह प्रावधान शहरी विकास मंत्रालय के सचिवालय व्यय के लिए है।

2. नगर तथा ग्राम आयोजना संगठन एक तकनीकी, परामर्शदात्री और सलाहकार संगठन है और इसका संबंध शहरी तथा क्षेत्रीय आयोजना से है। यह संगठन राज्य सरकारों को उनकी शहरी और ग्रामीण आयोजना गतिविधियों को आयोजित करने और उनके संबंध में कानून बनाने में मदद भी करता है।

3. इस प्रावधान में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र आयोजना बोर्ड को दिये जाने वाला अंशदान शामिल है जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का संतुलित और सामंजस्यपूर्ण विकास करने और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली पर जनसंख्या के दबाव को कम करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में परियोजनाओं को वित्तपोषित करता है।

4. ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों से बड़े शहरों और महानगरों को होने वाले प्रवास को रोकने के लिए समग्र नीति के एक भाग के रूप में छोटे और मध्यम आकार के शहरों का समन्वित विकास करना एक निरन्तर जारी रहने वाली स्कीम है। केन्द्रीय सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता मुहैया कराती है।

5. यह प्रावधान मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई, बंगलोर और हैदराबाद जैसे बड़े शहरों में आधारभूत ढांचे के विकास की योजना के लिए है।

6. यह प्रावधान अन्य शहरी विकास योजनाओं के लिए है, अर्थात् शहरी सूचना प्रणाली, सामूहिक वित्त विकास कोष, सिटी चैलेंज्ड फण्ड, शहरी प्रशासन के लिए क्षमता निर्माण, शहरी परिवहन आयोजना, शहरी और क्षेत्रीय आयोजना में अनुसंधान, शहरी मानचित्रण, शहरी आयोजना और डिजाइन में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार, नगरपालिका कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र, राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान, और दिल्ली शहरी कला आयोग।

7. सम्पदा निदेशालय विज्ञान भवन, मावलंकर हाल के अलावा सामान्य पूल कार्यालय और रिहायशी स्थान का आवंटन करने, सरकारी होस्टलों, विभिन्न शहरों में स्थित अवकाश गृहों का प्रबन्ध करने के लिए उत्तरदायी है।

8. यह प्रावधान राष्ट्रपति भवन सहित सरकारी रिहायशी भवनों के निर्माण और रखरखाव के लिए है जिसमें रखरखाव और मरम्मत, बड़े और छोटे निर्माण कार्यों, साज-सामान, किराए, लीज प्रभारों इत्यादि भी शामिल हैं।

9. भारत सरकार केन्द्रीय जन-स्वास्थ्य तथा पर्यावरणीय इंजीनियरिंग संगठन के जरिए जलापूर्ति और सफाई कार्यक्रमों के निर्माण और कार्यान्वयन के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता और तकनीकी मार्गदर्शन देता है। इस प्रावधान में शहरी जलापूर्ति, ठोस अपशिष्ट प्रबंध, मल-जल निपटान तथा सफाई योजनाओं तथा मैला ढोने वालों की मुक्ति के लिए कम लागत वाली सफाई योजनाओं तथा छोटे शहरों को त्वरित शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम के विस्तार के अलावा मूल्यांकन प्रणालियों, मॉनीटरिंग तथा प्रबंध सूचना प्रणाली के व्यवहार्य अध्ययन, प्रशिक्षण पर सम्मेलनों के लिए है।

10. यह प्रावधान देश में कुछ चुने हुए शहरों में हवाई पत्तनों के समीप ठोस अपशिष्ट पदार्थ प्रबंध संबंधी प्रायोगिक परियोजना प्रारम्भ करने के लिए किया गया है।

11. यह प्रावधान दिल्ली में द्रुतगामी परिवहन प्रणाली (एम आर टी एस) के निष्पादन के लिए दिल्ली मेट्रो रेल निगम में निवेश करने के लिए है।

12. यह प्रावधान हुडको का पूंजी आधार बढ़ाने के लिए उसमें निवेश करने के लिए है।

13. यह उत्तर-पूर्वी क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभार्थ परियोजनाओं/योजनाओं के लिए एकमुश्त प्रावधान है।